रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30102023-249781
SG-DL-E-30102023-249781

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2023/कार्तिक 8, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 275
No. 328]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2023/KARTIKA 8, 1945	[N. C. T. D. No. 275

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 1/आईटीआई(2)/भर्ती नियम/2019/2319.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 07.11.1990 की अधिसूचना संख्या फा0 21/58/90–प्रशि0/प्रशा0/23175 द्वारा अधिसूचित क्राफ्ट अनुदेशक (आशुलिपि) के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में तथा साथ ही इस सरकार की दिनांक 03.03.1994 की अधिसूचना सं0फा021/58/90–प्रशि0/प्रशा0 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व सहमति से,एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन प्रशिक्षण विंग में क्राफ्ट अनुदेशक [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी/हिंदी)]के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को क्राफ्ट अनुदेशक [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी/हिंदी)] भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है,

वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
क्राफ्ट अनुदेशक [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी/हिंदी)]	20' (2023) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। अभ्युक्ति :(अंग्रेजी—12; हिंदी—8)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35,400—1,12,400/—)	लागू नहीं	21—30 वर्ष तक (केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः—** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ

					सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

7	8	9	10
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता ।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
अनिवार्य योग्यता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्यालय प्रबंधन तथा सचिवीय अभ्यास अथवा सचिवीय अभ्यास अथवा वाणिज्यिक अभ्यास में स्नातक उपाधि एवं अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के पश्चात् आशुलिपि/सचिवीय सहायक के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय अभ्यास अथवा वाणिज्यिक अभ्यास में तीन वर्ष का डिप्लोमा एवं अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के पश्चात् आशुलिपि/सचिवीय सहायक के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी/हिंदी) ख्जो पहले आशुलिपि (अंग्रेजी)/आशुलिपि (हिंदी) के नाम से जाने जाते थे,ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र (एनटीसी) अथवा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र (एनएसी) एवं अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के पश्चात् आशुलिपि/सचिवीय सहायक के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। (ii) कौशल परीक्षा मानदंड : डिक्टेशन : अंग्रेजी अथवा हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट। कंप्यूटर पर प्रतिलेखन : 40 मिनट (अंग्रेजी के लिए) तथा 55 मिनट (हिंदी के लिए)। (iii) कार्यालय प्रबंधन ट्रेड में राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण–पत्र (एनसीआईसी) [आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) के लिए] तथाप्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के अंतर्गत आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (हिंदी) ट्रेड में	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	2 वर्ष टीपः–परिवीक्षा पूर्ण करने के लिए दो सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।	सीधी भर्ती **टीप** :पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी : (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी। तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु– सीमा आवेदन प्राप्ति

प्रासंगिक राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक (एनसीआईसी) प्रमाण–पत्र। **टीप 1:–**कुल पदों ख्क्राफ्ट अनुदेशक – आशुलिपिक तथा सचिवीय सहायक (अंग्रेजी / हिंदी), का 50 प्रतिशत राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र (एनटीसी) अथवा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र (एनएसी) जैसी व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तथा 50 प्रतिशत उपयुक्त शाखा(शैक्षिक योग्यता में यथा उल्लिखित) में उपाधि / डिप्लोमा जैसी व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। तथापि, राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण–पत्र (एनसीआईसी) ऐसे ट्रेडों में सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जहाँ राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण–पत्र हेतु क्राफ्ट अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के अंतर्गत पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। **टीप 2:–**रिक्तियों का अभिप्राय उपाधि / डिप्लोमा धारकों के लिए, यदि क्राफ्ट अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय क्राफ्ट अनुदेशक प्रमाण–पत्र (एनसीआईसी) के साथ उपाधि / डिप्लोमा रखने वाले प्रशिक्षित उम्मीदवार रिक्तियों के बराबर उपलब्ध नहीं हैं अथवा ऐसी रिक्तियों के लिए बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, तो वह उपाधि / डिप्लोमा धारकों (गैर–सीआईटीएस / एनसीआईसी प्रशिक्षित) से भरी जाएँगी। बशर्ते कि उन्हें प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) में कम से कम 3 माह का नियमित प्रशिक्षण लेने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के भीतर एनसीआईसी योग्यता अवश्य प्राप्त करनी होगा। **टीप 3:–**अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप 4:–य**दि चयन की किसी अवस्था में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।			की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)

11	12	13
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरणसमिति 1. वित्तीय आयुक्त, रा0रा0क्षे0दि0स0 (अध्यक्ष) 2. संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य) 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य) 4. विशेष अथवा अपर सचिव, सामान्य प्र''ाासन विभाग, रा0रा0क्षे0दि0स0 (सदस्य)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

भूपेश चौधरी, निदेशक

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2023

F. No. 1/ITI(2)/RR/2019/2319.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification Number GSR 840 dated the 13th July 1959, and in supersession of the recruitment rules for the post of Craft Instructor (Stenography) notified vide notification No. F.21/58/90-Trg./Admn./23175 dated 07.11.1990 and also in supersession of Notification of this Government, No. F.21/58/90-Trg./Admn. Dated 03.03.1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior concurrence of the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Craft Instructor [Stenographer and Secretarial Assistant (English/Hindi)] in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Craft Instructor [Stenographer and Secretarial Assistant (English/Hindi)] Recruitment Rules, 2023

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: -** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:** No person,

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:-** Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-Selection post	Age limits for Direct Recruits.
Craft Instructor [Stenographer and Secretarial Assistant (English)/(Hindi)	20* (2023) * Subject to variation dependent on workload Remark: (English-12; Hindi-8)	General Central Service, Non Ministerial Non-Gazetted Group, B	6 Remark: Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the Pay Matrix	Not Applicable	Twenty one years to thirty years (Relaxable for Govt. servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB.

7	8	9	10
Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
Essential Qualification: (i) Bachelors Degree in Office Management and Secretarial Practice or in Secretarial Practice or Commercial Practice from a recognized University or Institute with one year experience in the field of Stenography/Secretarial Assistance after acquiring the requisite qualification; OR Three years Diploma in Office Management or Secretarial Practice or Commercial Practice from a recognized University or Institute with two years experience in the field of Stenography/Secretarial Assistance after acquiring the requisite qualification; OR National Trade Certificate (NTC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) in Stenographer and Secretarial Assistant (English/ Hindi) [previously known as Stenography (English) /Stenography (Hindi)] trade from a recognized Institution with Three years experience in the field Stenography/Secretarial Assistance after acquiring the requisite qualification.	Age: NA Edu. Qual: NA	2 years **Note:** Successful completion of induction training of two weeks is a must for clearance of probation.	Direct Recruitment **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government / State Government / Union Territories: A. Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre / Department; And B. Possessing educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this

(ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes at the rate of 100 words per minute in English or Hindi. Transcription on computer: 40 minutes (for English) and 55 minutes (for Hindi) (iii) National Craft Instructor Certificate (NCIC) in Office Management trade [for Stenographer and Secretarial Assistant (English)] and relevant NCIC for the trade of Stenographer and Secretarial Assistant (Hindi) under DGT. **Note 1:** 50 percent of the total posts [Craft Instructor-Stenographer and Secretarial Assistant (English/Hindi)] will be filled up by the persons holding the professional qualification as National Trade Certificate (NTC) or National Apprenticeship Certificate (NAC) and 50 percent with the persons holding the professional qualification as Degree /Diploma in appropriate branch (as mentioned in EQs). However, NCIC is must for all the candidates in such trades where the courses under Craft Instructors Training Scheme (CITS) for NCIC are available. **Note 2:** For the vacancies meant for Degree/Diploma holders, If the candidates possessing Degree/Diploma with National Craft Instructor Certificate (NCIC) under Craft Instructors Training Scheme (CITS) trained are not available equal to the vacancies or not available at all then such vacancies shall be filled with Degree/Diploma holders (Non-CITS/NCIC trained) subject to condition that they must acquire the NCIC qualification within probation period after undergoing at least 3 months of regular training in Government Institute of Training of Trainers (ITOT) in line with the Directorate General of Training (DGT), GOI Guidelines. **Note3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 4:** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any stage of selection, the DSSSB/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications).

11	12	13
In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Not applicable	Departmental confirmation Committee	Consultation with the Union Public

	1.Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary of the concerned Department, Government of NCT of Delhi -(Member) 3. Head of Department Concerned, Government of NCT of Delhi (Member). 4.Special or Additional Secretary GAD, Government of NCT of Delhi (Member)	Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

BHUPESH CHAUDHARY, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.10.30 18:23:54 +05'30'